Order Sheet [Contd] Case No 124/2017 बी.ए

Proceeding where necessary 10–04–2017 आवेदकगण/आरोपीगण सीताराम, कलियान, महेश व लवकुश		Case No 124	∤ / 2017 લા. ુ
	Order or	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
न्यायालय की अभिरक्षा में समर्पित किया। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। अगरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड से अप०क० 238/16 धारा 459, 294, 323, 506, 34 भा०दं०वि० की केश डायरी प्रस्तुत किन्तु डायरी के साथ जमानत आवेदनपत्र के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं। आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से अधि. श्री आर.पी.एस. गुर्जर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर गलत मामला दर्ज कर लिया है, जबिक उक्त अपराध से आवेदकगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय के द्वारा आवेदकगण का अग्रिम जमानत रवीकार कर सक्षम न्यायालय में जमानत पेश करने का आदेश दिया गया था। जिसके पालन में वर्तमान आवेदनपत्र पेश किया गया है। आवेदकगण कस्बा गोहद के स्थाई निवासी है जिनके फारर होने एवं साक्ष्य को प्रमावित करने की संभावना नहीं है। वह नियमित जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः आवेदकगण को उचित नियमित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विद्यार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों का अत्यधिक वल दिया है कि आरोपीगण मिण्ड जिले के स्थाई निवासी है और उनकी चल अचल सम्पत्ति भिण्ड जिले में है, उनके भागरक कहीं जाने की संभावना नहीं है एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एम.सी.आर.सी कमांक 1745/47 में पारित आदेश दिनांक 03.04.17 के आलोक में		सिहत श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता। आरोपीगण ने अपने आपको न्यायालय की अमिरक्षा में समर्पित किया। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड से अप0क0 238/16 धारा 459, 294, 323, 506, 34 भा0दं0वि0 की केश डायरी प्रस्तुत किन्तु डायरी के साथ जमानत आवेदनपत्र के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं। आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से अधि. श्री आर.पी.एस. गुर्जर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फो० का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर गलत मामला दर्ज कर लिया है, जबिक उक्त अपराध से आवेदकगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय के द्वारा आवेदकगण का अग्रिम जमानत स्वीकार कर सक्षम न्यायालय में जमानत पेश करने का आदेश दिया गया था। जिसके पालन में वर्तमान आवेदनपत्र पेश किया गया है। आवेदकगण कस्बा गोहद के स्थाई निवासी है जिनके फारर होने एवं साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। वह नियमित जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः आवेदकगण को उचित नियमित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। अरोपेगण के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों का अत्यधिक वल दिया है कि आरोपीगण मिण्ड जिले के स्थाई निवासी है और उनकी चल अचल सम्पत्ति भिण्ड जिले में है, उनके भागरक कहीं जाने की संभावना नहीं है एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एम.सी.आर.सी	A ATTEN

आरोपीगण को नियमित प्रतिभूति पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण में आरोपीगण पर फरियादी पक्ष के साथ घर में घुसकर लाठियों से मारपीट करने का आरोप है। केश डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रकरण में अनुसंधान लगभग पूर्ण हो चुका है एवं अभियोगपत्र प्रस्तुत करना शेष रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने एम. सी.आर.सी. कमांक 1745 / 17 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2017 के द्वारा आरोपीगण को पूर्व धाराओं के साथ भा.द.वि की बढाई धारा 459 अथवा 325 में भी अग्रिम प्रतिभूति पर आरोपीगण को पूर्व की तरह प्रतिभूति पर मुक्त किए जाने के आदेश प्रदान किए है।

अतः प्रकरण की परिस्थिति एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि यदि आरोपीगण अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि योग्य 25,000/— रूपए की सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिबंधपत्र निम्न आशय का प्रस्तुत करें तो उन्हें इस प्रकरण के अंतिम निराकरण तक नियमित प्रतिभूति पर मुक्त कर दिया जावे।

- 1. अारोपीगण विचारण के दौरान प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहेगे।
- 2. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगें।
- 3. प्रकरण के त्वरित निराकरण में सहयोग करेगें।
- 4. जैसा अभियोग है वैसा अपराध नहीं करेगें। आरोपगण को आदेश की प्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकारित रखने वाले न्यायिक मिजस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला— भिण्ड म०प्र० WILKING TO THE TOTAL THE T All the state of t